संख्या I/14013/01/2004-रा.भा.(नीति-1)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
*****

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक: 31 दिसम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी कामकाज में "अहिंदी भाषी" शब्दों के प्रयोग के स्थान पर "अन्य भाषा-भाषी" अथवा "हिंदीतर भाषी" शब्दों का प्रयोग ।

***

राजभाषा विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि भारत सरकार के बहुत से मंत्रालय/विभाग आदि अपने नेमी कामकाज में उन राज्यों/व्यक्तियों के लिए, जिनकी राजभाषा/मातृभाषा हिंदी नहीं है, 'अहिंदी भाषी' शब्दों का प्रयोग करते हैं । राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 में कहीं पर भी 'अहिंदी भाषी' शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है ।

2. हिंदी संघ की राजभाषा है तथा देश की संपर्क भाषा है । अतः भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सरकारी कामकाज में तथा गृह-पत्रिकाओं आदि में **"अहिंदी भाषी" शब्दों के प्रयोग के स्थान पर "अन्य भाषा-भाषी" अथवा "हिंदीतर भाषी" शब्दों का प्रयोग करें** तथा अपने संबंद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि को भी तदनुसार कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करें ।

(एम.एल.गुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24611 031

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।